भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3722
बुधवार, 18 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना

3722. श्री शशांक मणि :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी और स्टार्टअप के विकास को और बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह) :
****

भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी और स्टार्टअप्स के विकास को और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

I. अंतरिक्ष क्षेत्र को उदार बनाया गया है और निजी क्षेत्र को आद्योपांत अंतरिक्ष गतिविधियाँ आयोजित करने की अनुमति दी गई है।

II. अंतरिक्ष क्षेत्र में गैर-सरकारी कंपनियों (एनजीई) की अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, प्राधिकृत करने और उनका निरीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष विभाग में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) का गठन किया गया था।

III. सरकार ने एक संपन्न अंतरिक्ष परितंत्र बनाने के उद्देश्य से विभिन्न हितधारकों द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों को विनियामक निश्चितता प्रदान करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 तैयार की है।

IV. निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और उन्हें ठोस सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इन-स्पेस द्वारा बीज निधि योजना, मूल्य निर्धारण सहायता नीति, परामर्श सहायता, तकनीकी केंद्र, एनजीई के लिए डिजाइन लैब, अंतरिक्ष क्षेत्र में कौशल विकास, इसरो

सुविधा उपयोग सहायता, एनजीई को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतरिक्ष परितंत्र के सभी हितधारकों से जुड़ने के लिए इन-स्पेस के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का सृजन आदि जैसी विभिन्न योजनाओं की भी घोषणा की गई और उन्हें कार्यान्वित किया गया।

V. आज की तारीख में स्पेस स्टार्ट-अप्स की संख्या वर्ष 2014 में केवल 1 से बढ़कर लगभग 266 हो गई है।

VI. इन-स्पेस द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए दशकीय दृष्टिकोण और रणनीति की भी घोषणा की गई है, जिससे समग्र अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी।

VII. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए 1000 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी (वीसी) निधि की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

VIII. गैर-सरकारी कंपनियों (एनजीई) द्वारा परिकल्पित अंतरिक्ष प्रणालियों और अनुप्रयोगों की प्राप्ति के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इन-स्पेस ने ऐसी गैर-सरकारी कंपनियों (एनजीई) के साथ लगभग 71 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे प्रमोचन यान और उपग्रहों के निर्माण में उद्योग की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

IX. भारतीय एनजीई की विदेशी पूंजी तक पहुंच को आसान बनाने हेतु केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए संशोधित एफडीआई नीति जारी की है।

X. इन-स्पेस ने सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत भू प्रेक्षण (ईओ) प्रणाली की स्थापना शुरू की है। गैर-सरकारी कंपनियों (एनजीई) से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की गई है।

XI. भारतीय कंपनियों को लघु उपग्रह प्रमोचन यान (एसएसएलवी) से संबंधित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है और चुने गए बोली लगाने वालों से प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) पर प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई है।

XII. एनजीई को भारतीय कक्षीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए इन-स्पेस द्वारा अवसर की घोषणा की गई है। एक भारतीय कंपनी का चयन किया गया है।

***